GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
Railway Board (रेलवे बोर्ड)

S.No.PC-VI/ 285
No.PC-V/2009/ACP/2

RBE No. 20 /2012
New Delhi, dated 15-02-2012

The General Managers (P)
All Zonal Railways & PUs
(As per mailing list)

Sub:-Modified Assured Career Progression Scheme for the Railway Employees-Clarifications Regarding.

Please refer to Board's letter of even number dated 10-06-2009 (RBE No.101/2009) regarding MACP Scheme for Railway employees and subsequent amendments/clarification issued thereon from time to time.

2. References have been received seeking clarification as to whether the past service and promotions earned before medical de-categorization would be reckoned for the purpose of grant of financial upgradation under MACP Scheme.

3. The matter has been examined in consultation with Department of Personnel & Training (DoP&T), the nodal department of Government on the subject and it has been decided that in cases where the persons are medically de-categorized and appointed to some other posts in lower pay scale/Grade Pay for which they are suitable in terms of medical conditions, past service may be counted towards MACP Scheme. Even where a person had earned one promotion/ financial upgradation prior to medical de-categorization and is appointed to a lower post, since the transfer is not own volition, there is no objection to counting of the past service including for the period he held a higher service on promotion, for deciding three financial upgradation under MACP Scheme.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Hindi version is enclosed.

(N.P.Singh)
Dy.Director, Pay Commission-V
Railway Board

No.PC-V/2009/ACP/2 New Delhi, dated 15-02-2012
Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner, Railways

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF INDIA)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

क्र.सं.पी.सी.-VI/285
सं.पी.सी.-V/2009/एसीपी/2

आरबीई सं. 20 /2012
नई दिल्ली, दिनांक15.02.2012

महाप्रबन्धक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां.
(डाक सूची के अनुसार)

विषयः रेल कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण.

कृपया रेल कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के संबंध में बोर्ड के दिनांक 10.6.2009 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं.101/2009) और बाद में समय-समय पर इस संबंध में जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों का अवलोकन करें.

2. इस बारे में स्पष्टीकरण मांगने संबंधी पत्र प्राप्त हुए हैं कि क्या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मेडिकल आधार पर विकोटिकृत होने से पहले की सेवा और पहले प्राप्त पदोन्नतियों की गणना की जाएगी.

3. इस मामले की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो इस विषय पर सरकार का नोडल विभाग है, के परामर्श से जांच की गई है और यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों जिनमें व्यक्तियों को मेडिकल आधार पर विकोटिकृत किया गया हो और उन्हें किसी ऐसे लोअर वेतनमान/ग्रेड पे में किन्हीं अन्य पदों पर नियुक्त किया गया हो, जिनके लिए वे मेडिकल आधार पर उपयुक्त हैं.तो ऐसे मामलों में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के प्रयोजन के लिए पहले की गई सेवा की गणना की जाए. ऐसे मामलों में भी जहां किसी व्यक्ति ने मेडिकल आधार पर विकोटिकृत होने से पहले एक पदोन्नति/वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त किया हो और उसे लोअर पद पर नियुक्त किया हो तो ऐसे मामलों में भी संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत तीन वित्तीय अपग्रेडेशन का निर्णय करने के लिए पहले की गई सेवा, जिसमें वह अवधि भी शामिल है जब वह पदोन्नति पर उच्चतर पद पर था की गणना करने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह स्थानान्तरण उसकी अपनी मर्जी से नहीं किया गया होता है.

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है.

(एन.पी.सिंह)
उप निदेशक,वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड.